निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 62/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

किशन पुत्र स्व॰ श्री रामकुवार जाति मीणा निवासी ग्राम खटवाडा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री हिम्मत सिंह आर॰ए॰एस॰ उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जिला जयपुर ।
2. हसनपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति लि॰ पंजीयन संख्या 2554/एल जरिये संयोजक मंगलराम मीणा पुत्र कान्हाराम मीणा निवासी सहकार मार्ग, लाल कोठी योजना, तहसील व जिला जयपुर।
3. छोगाराम पुत्र स्व॰ रामकुंवार
4. कृष्णा पुत्री स्व॰ रामकुंवार
5. श्रीमती मनफूली पत्नी स्व॰ श्री रामकुंवार

   समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम खटवाडा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
6. ग्राम पंचायत मदाउ जरिये सरपंच तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. तहसीलदार सांगानेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2023 ब उनवानी हसनपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति बनाम छोगाराम व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री एस॰जे॰ गिरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री विशाल दिनकर अधिवक्ता अप्रार्थी 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 17.04.2025

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 02/2023 ब उनवानी हसनपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति बनाम छोगाराम व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विशाल दिनकर उपस्थित है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि दिनांक 29.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी को न्यायालय परिसर में धमकी दी कि मेरी एस डी ओ साहब से बात हो चुकी है और वह शीघ्र ही उक्त अपील का निस्तारण मेरे पक्ष में कर देंगे तथा तुम्हारा नामान्तरकरण खारिज कर देंगे । उक्त घटना की जानकारी प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को दी तो अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि मेरे ऊपर राजनैतिक दबाव है और मै तुम्हारे नामान्तरकरण को शीघ्र ही खारिज कर अपील का निस्तारण अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में करूंगा। आपको जो करना है वह कर लो। अप्रार्थी संख्या 1 इस उद्देश्य से उक्त प्रकरण में छोटी छोटी तरीख पेशी नियत कर रहे है तथा बिना प्रकरण में प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये ही पत्रावली को बहस में नियत कर प्रार्थी के विरूद्व निस्तारित करने पर उतारू है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है। इसलिए काल्पनिक, मिथ्या व मनघढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner